जिला भू-अर्जन कार्यालय

लोक सुनवाई हेतु

## —:आम सूचना:—

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि The Right to fair compenensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा–04 अन्तर्गत रिंग रोड बासुकीनाथ निर्माण परियोजना हेतु अंचल–जरमुण्डी में अधिगृहित की जाने वाली भूमि जिसके लिए सामाजिक प्रभाव के मुल्यांकन अध्ययन का कार्य किया जा रहा है। सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन के संक्षिप्त विवरण को समुचित जगह पर प्रकाशित किया जा चुका है।

उपरोक्त अधिनियम के धारा–05 अन्तर्गत सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन के प्रतिवेदन हेतु लोक सुनवाई किया जाना है। निम्नलिखित स्थान/विवरण एवं समय के अनुसार लोक सुनवाई निर्धारित की जाती है:–

| क्र0 | अंचल | संबंधित ग्राम का नाम | लोक सुनवाई हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी | लोक सुनवाई का स्थल | लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि | लोक सुनवाई हेतु निर्धारित समय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जरमुण्डी | बासुकीनाथ शीट नं0–1, | 1.अनुमण्डल पदाधिकारी, —सह— जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दुमका।<br>2. डॉ0 शम्भु कुमार सिंह, समन्व्यक, SIA असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संताल परगना महाविद्यालय, दुमका।<br>3. अंचल अधिकारी, जरमुण्डी।<br>4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जरमुण्डी।<br>5. कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दुमका। | प्रखण्ड मुख्यालय, जरमुण्डी। | 02.06.2017 | पूर्वाहन 11:00 बजे |
| 2 | | बासुकीनाथ शीट नं0–2 | | | | |
| 3 | | बेलगुमा खुर्द | | | | |

प्रभावित संबंधित ग्राम के अन्तर्गत परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों से अनुरोध है कि उक्त लोक सुनवाई में उपस्थित होकर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में अपने विचार रखने का कष्ट करेंगे।

Rahul
16/5/17
उपायुक्त,
दुमका।

# दुमका समाहरणालय

## जिला भू–अर्जन शाखा।

## भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली–2015 के तहत प्राप्त एस0आई0ए0 प्रतिवेदन।

**1.** परियोजना का नाम :– **रिंग रोड बासुकीनाथ निर्माण परियोजना।**

**2.** एस.आई.ए. करने वाले संस्थान का नाम :– **सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका।**

**3.** परियोजना समन्वयक :– **डॉ0 शम्भु कुमार सिंह, (अस्सिटेन्ट प्रॉफेसर, संताल परगना महाविद्यालय , दुमका)**

4. प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण, अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार और एस0आई0ए0 द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र :–

| क्र0 | ग्राम का नाम | थाना सं0 | थाना | अंचल का नाम | अधियाचित रकवा (एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बासुकीनाथ सीट नं0–1 | 24 | जरमुण्डी | जरमुण्डी | 2.66 |
| 2 | बासुकीनाथ सीट नं0–2 | 24 | जरमुण्डी | जरमुण्डी | 5.83 |
| 3 | बेलगुमा खुर्द | 25 | जरमुण्डी | जरमुण्डी | 4.09 |
| | | | | कुलः– | 12.58 |

एस.आई.ए. प्रतिवेदन में सर्वेक्षणकर्त्ता तथा समन्वयक द्वारा उक्त प्रस्तावित परियोजना के लिए दिये गये उपसंहार निम्न प्रकार है।

1. प्रस्तावित परियोजना पुरा होने के पश्चात् विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में होने वाले भीड़–भाड़ वाहनो से होने वाले जाम के साथ श्रद्धालुओ को होने वाले अनेक तरह के परेशानीयो का समाधान एक साथ हो जाएगा।
2. प्रस्तावित परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् स्थानीय लोगों को यातायात में काफी सुवीधा हो जाएगी ।
3. प्रस्तावित परियोजना पूर्ण हाने से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्क्ष रूप से रोजगार में वृद्धि होगी तथा आर्थिक पक्ष मजबुत होगा।
4. प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है जिसके अधिग्रहण करने से कृषि योग्य भूमि की कमी होगी।
5. भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप प्रभावित परिवारों का भू–स्वामित्व कम होगा।
6. प्रस्तावित परियोजना का कार्यान्वियन/प्रबंधन उचित एवं ससमय होना आवश्यक है। प्रबंधन नहीं होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों पर भावनात्मक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन(एस.आई.ए.) अध्ययन प्रतिवेदन दुमका जिला के बेबसाईट– www.dumka.nic.in , एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, दुमका में देखा जा सकता है।

16/5/17

उपायुक्त

दुमका।

दुमका समाहरणालय

जिला भू–अर्जन शाखा।

## भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली–2015 के तहत प्राप्त एस0आई0ए0 प्रतिवेदन।

1. परियोजना का नाम :– **आवासीय कॉलोनी निर्माण परियोजना।**
2. एस.आई.ए. करने वाले संस्थान का नाम :– **नवदृष्टि, राँची।**
3. परियोजना समन्वयक :– **सुश्री नीलम कुमारी, एम.ए.आर.डी.।**
4. प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण, अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार और एस0आई0ए0 द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र :–

| क्र0 | ग्राम का नाम | थाना सं0 | थाना | अंचल का नाम | अधियाचित रकवा (एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रामपुर | 15 | दुमका | दुमका | 15.39 |
| 2 | बेहराबाँक | 13 | दुमका | दुमका | 5.16 |
| | | | | कुलः– | 20.55 |

एस.आई.ए. प्रतिवेदन में सर्वेक्षणकर्त्ता तथा समन्वयक द्वारा उक्त प्रस्तावित परियोजना के लिए दिये गये उपसंहार निम्न प्रकार है।

1. प्रस्तावित परियोजना दुमका जिले में आवासीय कॉलोनी निर्माण परियोजना से संबंधित है। प्रस्तावित परियोजना के पुर्ण होने से बेघरो एवं जरूरतमंदो को आवास की सुविधा उपलब्ध होगी। जिसके लिए भूमि अर्जन, उचित मुआवजा राशि देने के साथ किया जा सकता है।
2. प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में जन–जीवन पर दीर्घकालिन गुणात्मक सुधार होगा।
3. प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अनेको अवसर का सृजन होगा।
4. प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में बुनायादी संरचनाओं का विकास होगा।
5. भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप प्रभावित परिवारों का भू–स्वामित्व कम होगा।
6. प्रस्तावित परियोजना का कार्यान्वयन/प्रबंधन उचित एवं ससमय होना आवश्यक है। प्रबंधन नहीं होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों पर भावनात्मक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन(एस.आई.ए.) अध्ययन प्रतिवेदन दुमका जिला के बेबसाईट– www.dumka.nic.in , एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, दुमका में देखा जा सकता है।

16/5/17

उपायुक्त

दुमका।